न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः- सरिता नौशाद, जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी अपील संख्याः- 17/2015

सी.आई.एस. नम्बरः- 17/2015

सी.एन.आर. नम्बरः- RJBK130000422015

1- तोलाराम पुत्र कोजूराम
2- कोजूराम पुत्र शंकरराम
निवासीगण बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

-अपीलांटस/अभियुक्तगण -

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक, बीकानेर

-रेस्पोडेन्ट-

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23-11-2015 द्वारा श्री निहालचंद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ नंबरी फौजदारी प्रकरण संख्या 368/2006 राजस्थान राज्य बनाम तोलाराम आदि जुर्म धारा 498ए,406 भा.द.सं.

उपस्थितिः-
1- विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सोहननाथ सिद्ध राज्य सरकार की ओर से।
2- विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनलाल सोनी अपीलांटस/अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय दिनांकः- 02-05-2026

1- यह अपील श्री निहालचंद न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-11-2015 के विरूद्ध पेश की गई। इस निर्णय द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ ने अपीलांटस/अभियुक्तगण तोलाराम व कोजूराम

को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए,406 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर प्रत्येक को धारा 498ए भा.द.सं. में तीन वर्ष का साधारण करावास व पांच सौ रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का अतिरिक्त कारावास से व धारा 406 भा.द.सं. में प्रत्येक को तीन वर्ष का साधारण करावास व पांच सौ रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटस/अभियुक्तगण तोलाराम व कोजूराम ने उक्त अपील की है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादिया श्रीमती उर्मिलादेवी ने दिनांक 25-09-2006 को विचारण न्यायालय के समक्ष एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादिया का विवाह अपीलार्थी तोलाराम के साथ दिनांक 23-05-2005 को हिन्दू रीति रिवाज से पूनरासर में सम्पन्न हुआ था। विवाह में उसके भाईयों व माता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था जिसका विवरण परिवाद में साथ संलग्न सूची में है। विवाह के बाद जब वह ससुराल गयी तो पति तोलाराम, ससुर कोजूराम व सास माली देवी, नणद संतोश उसे कम दहेज लाने के लिए तंग व परेशान करने ले तथा कहा कि उनका एक ही लड़का है। दहेज बहुम कम दिया है। उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने लगे। खेत में ले जाकर सिर पर वजन रख देते। घर पर मारपीट करते, भूखाा रखते। पचास हजार रूपये व स्कूटर की मांग करते। पंचायती करवाने के बाद उसे पुनः ससुराल भेजा तो दो चार दिन ठीक रखा, उसके बाद पुनः मारपीट करने लगे। उस पर नंपुसकता का आरोप लगाकर कमरे में बंद कर दिया व मारपीट की । मेडिकल मुआयना करवाने के लिए उसे बीकानेर ले गये । दिनांक 05-09-2006 को मुलजिमान ने परिवादिया के मातापिता व परिजनों पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया ...आदि-आदि परिवादी अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ भेजा, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 310/2010 अन्तर्गत धारा 498ए,406 भा0द0सं0 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अपीलांटस/अभियुक्तगण तोलाराम व कोजूराम तथा अभियुक्ता श्रीमती मालीदेवी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए,406,323 भा0द0सं0 में चालान विचारण न्यायालय में पेश किया गया जिस पर अपीलांटस/

अभियुक्तगण व अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर अपीलांटस/अभियुक्तगण को धारा 498ए,406,323 भा.द.सं. के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, जिन्हें सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4- अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 श्रीमती उर्मिला, पी.ड.2 पुरखाराम, पी.ड.3 बजरंगलाल पी.ड.4 हडमानराम, पी.ड.5 रामप्रताप, पी.ड.6 मांगीलाल, पी.ड.7 सुरेशचंद्र, पी.ड.8 परतुराम, पी.ड.9 सावित्री, पी.ड.10 हम्मताराम के बयान लेखबद्ध कराये व दस्तावेजी साक्ष्य के रूपमें प्रदर्श पी1 परिवाद पत्र, प्रदर्श पी 2 चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी2 पुलिस बयान पुरखाराम, प्रदर्श पी3 से 5 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण कोजराम, तोलाराम व श्रीमती मालीदेवी, प्रदर्श पी 6 फर्द जब्ती सत्रीधन, प्रदर्श पी 7 फर्द जब्ती सत्रीधन सोना चॉदी के जेवरात, प्रदर्श पी 8 व 9 चिट दस्तखती, प्रदर्श पी 10 पुलिस बयान परतुराम को प्रदर्शित कराया गया।

5- अपीलांटस/अभियुक्तगण व अभियुक्ता का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत किया गया तो उन्होंने ने साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताया एवं अपनी प्रतिरक्षा में अवसर उपरान्त साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6- तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस सुनकर दिनांक 23-11-2015 को आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश पारित कर अभियुक्ता श्रीमती माली को भा.द.सं. के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया तथा अपीलांटस/अभियुक्तगण तोलाराम व कोजूराम को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए,406 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर प्रत्येक को धारा 498ए भा.द.सं. में तीन वर्ष का साधारण करावास व पांच सौ रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का अतिरिक्त कारावास से व धारा 406 भा.द.सं. में प्रत्येक को तीन वर्ष का साधारण करावास व पांच सौ रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी।

7- बहस अपील सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता

अपीलांटस/अभियुक्तगण ने कथन किया कि परिवादिया से दहेज की मांग नहीं की गयी थी और ना ही मारपीट की गयी थी। परिवादिया ने यह स्वीकार किया है कि यह मुकदमा हमने इसलिए दर्ज करवाया क्योंकि पहले मुलजिमान ने मेरे पीहरवालों पर मुकदमा दर्ज करवाया थ। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन व विश्लेषण नहीं किया जबकि पत्रावली पर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 498ए,406 के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सही प्रकार से विश्लेषण नहीं करके त्रुटि की है आदि आदि। अन्त में अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 23-11-2015 अपास्त किए जाने का तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 498ए,406 के आरोपों में भी दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

8- इसके विरोध में अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्रता से विवेचन करते हुए पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अन्त में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पेश की गई अपील को खारिज किए जाने व विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ के द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 23-11-2015 को पुष्ट किए जाने की प्रर्थना की गई।

9- दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। अब यह देखना है कि क्या विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ के द्वारा पारित निर्णय 23-11-2015 में कोई विधिक त्रुटि है या नहीं?

10- हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध जहां तक धारा 498ए व 406 भा.द.सं. के संबंध में मामले को देखा जाए तो परिवादिया पी.ड.1 श्रीमती उर्मिला ने अपने सशपथ बयानों में परिवाद पत्र प्रदर्श पी 1 की पुष्टि में कथन किया है कि उसका पति तोलाराम शादी के बाद पचास हजार रूपये व स्कूटर की मांग की। सास, पति, ससुर व नणद दहेज की मांग करते व मारपीट करते और शादी में दिया गया सामान रख लिया तथा उसके जेवरात नहीं दिये। मुलजिमान ने कहा कि नपुसंक है इसलिये हम इसको नहीं रखेगें।

समाज में पंचायती करवाई। पंचायती में यह तय हुआ कि लड़की सही है, कमी इसके पति में है। उसका पति पंचायती से भाग गया। उसकी डॉक्टर से जांच करवाई थी और औरतों से भी जांच करवाई थी। बीकानेर में ज्योत्सना ओझा से दिखाई थी जिसने कहा कि लड़की सही है। परिवादिया पी.ड.1 श्रीमती उर्मिला ने जिरह में कथन किया है कि उसे दहेज में समान दिया था वह नणद ने जबरन खोस लिया था, अलमारी की चांबी ले ली थी। मुलजिमान ने पचास हजार रूपये तोलाराम को धन्धा करवाने के लिए मांगे थे। यह मुकदमा दर्ज करवाने से पहले ही मुलजिमान ने उसके पीहर वालों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह सही है कि उसके पति तोलाराम के शरीर में कमी है। उसकी जिस डॉक्टर से शरीर की जांच करवाई उस डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी। उसका पति तोलाराम व ससुर कोजाराम निकमा है जो कोई काम धन्धा नहीं करते है।

11- गवाह पी.ड.2 पुरखाराम अभियोजन का पक्षद्रोही साक्षी रहा है । गवाह पी.ड.3 बजरंगलाल जो परिवादिया का भाई है, ने भी स्पष्ट कथन किया है कि तोलाराम ने कहा कि लड़की नपुसंक है। गांव में चैक किया तो सही पाई गई। मुलजिम कोजूराम ने कहा कि मेडिकल परीक्षण करवायेगे। फिर मेडिकल करवाया तो सही औरत पायी गई। उसकी बहन से पचास हजार रूपये, मोटर साईकिल/स्कूटर मांगे। हमने अपनी बहन को सोने की बिट्टी तीन, एक सोना की चैन, एक पंचलड़ा सोने का, चार चुडिया सोने, आठ पाजेब की दी थी। गवाह ने जिरह में कथन किया है कि बीकानेर डॉक्टरी मुआयना होने के बाद मेरी बहन को निकाल दिया था।

12- गवाह पी.ड.4 हडमानराम ने भी कथन किया है कि दिनांक 23-05-2005 को उर्मिला की शादी तोलाराम के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ पूनरासर में हुई थी। शादी के बाद पति तोलाराम, सास माली देवी, ससुर कोजूराम व नणद संतोष उर्मिला के साथ सही व्यवहार नहीं करते थे और पचास हजार रूपये व मोटर साईकिल की मांग की। लड़की को नपुसंक बताया। पंचायती में कहा कि लड़की का डॉक्टरी मुआयना करवालो। डॉक्टरी मुआयना करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि लड़की में कोई कमी नहीं है। जिरह में कथन किया है कि डॉक्टरी मुआयना होने के बाद लड़की वापिस ससुराल नहीं गयी, अपने पर पर ही बैठी रही।। हम बीझांसर से पंचायती करके सीधे ही जांच

कराने बीकानेर गये थे।

13- गवाह पी.ड.5 रामप्रताप उर्मिला धर्माराम की लड़की है, धर्माराम रिश्ते में उसका काका लगता है। उर्मिला की शादी तोलाराम के साथ हुयी थी। शादी के तीन चार माह बाद हडमानाराम उसके पास आया और कहा कि लड़की को दहेज के लिए कूटमार करते है। पंचायती हुयी थी। पंचायती में समझाईश की गयी तो कोजूराम मान गया, उसने कहा आईन्नदा ऐसी गलती नहीं करूंगा परन्तु चार पांच दिन बाद कूटमार की, पुनः समझाने गये को कोजूराम ने कहा कि लड़की नपुसंक है। लड़की का डॉक्टरी मुआयना करवाया तो वह सही पायी गयी। जिरह में यह कथन किया है कि पंचायती में सभी ने यह कहा कि तोलाराम के शरीर में कमी हो सकती है।

14- गवाह पी.ड.6 मांगीलाल जो बीझांसर गांव का निवासी है जिसने कथन किया है कि तोलाराम उसके ताउ के बेटे कोजूराम का बेटा है । तोलाराम की शादी उर्मिला के साथ हुयी थी। उर्मिला को ससुराल में 5-6 महिने तो ठीक रखा उसके बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा। कोजूराम, तोलाराम, माली कहने लगे कि दहेज कम लाई है। उर्मिला को घर से निकाल दिया । वह, दानीराम, परतूराम आदि पूनरासर जाकर उर्मिला को वापस ससुराल लाये थे। पंचायती में तोलाराम आदि ने कहा कि हमारी गली हो गयी । उसके बाद पाच सात दिन तो उर्मिला को ठीक ठाक रखा, फिर मुलजिमान कहने लगे कि उर्मिला नपुसंक है। पंचायती में भी मुलजिमान ने कहा कि उर्मिला नपुसंक है। डॉक्टरी मुआयना करवाया तो सही पायी गयी। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसने लड़ाई झगड़ा हुआ तब उर्मिला के पीहर वालों को समाचार देकर बुलाया था । उसके सामने रूपये पचास हजार शायद व मोटर साईकिल की मांग की गयी थी।

15- गवाह पी.ड.7 सुरेशचंद्र अनुसंधान अधिकारी है जिसने कथन किया है कि दिनांक 04.10.2006 को इस्तगासा प्रदर्श पी 1 प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 दर्ज कर तफ़ीश शुरू की दौराने तफ़ीश गवाहों के बयान लिये । मुलजिम कोजूराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी 3, मुलजिम तोलाराम को जरिये फर्द प्रदर्श पी 4, मुलजिमा मालीदेवी को जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 गिरफ़्तार किया । दहेज सामान को जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 जब्तकिया दहेज सामान दो सोने जैसे अंगूठी , एक चैन को जरिये फर्द प्रदर्श पी 7 जब्त कर सील मोहर की चिट

पर्ची प्रदर्श पी 8 है जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी 9 है । प्लास्टिक की डब्बी में कुल तीन सामान हैं आर्टिकल एक सोने की चैन व सोने की अगूठिर्यां आर्टिकल दो व तीन है । घर्डी आर्टिकल चार है । मुलजिमान के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर अन्तर्गत धारा 498ए,406,323 भा0द0सं0 में आरोप पत्र पेश किया गया । प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मुलजिम तोलाराम ने यह मुकदमा दर्ज होने से पूर्व धारा 420 भा.द.सं. का मुकदमा परिवादिया और उसके घर वालों के विरूद्ध दर्ज करवाया था।

16- गवाह पी.ड.8 परतुराम भी अभियोजन का पक्षद्रोही साक्षी रहा है, जिसने अधिवक्ता अभियुक्त की प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि पंचायती केवल इसी बात की हुयी थी कि उर्मिला लड़की है या नहीं। गवाह पी.ड.9 सावित्री जो परिवादिया की माता है, ने परीक्षण के दौरान कथन किया है कि मुलजिमान ने उसकी पुत्री को नपुसंक कहकर साथ रखने से इन्कार कर दिया। मेडिकल जांच करवाने पर उसकी बेटी सामान्य पायी गई थी। गवाह पी.ड.10 हिम्मताराम ने भी परीक्षण के दौरान कथन किया है कि मुलजिमान तोलाराम व कोजूराम ने कहा कि उर्मिला नपुसंक है और साथ रखने से इन्कार कर दिया। मेडिकल जांच में लड़की सही पायी गयी। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि ओमी से सामान तोलाराम व कोजाराम दोनों ने खोस लिया था । पंचायती नपुसंक बाबत हुयी थी। पंचायती एक दो बार हुयी जिसमें वह शामिल नहीं था, उसके भाई शामिल थे। नपुसंक बताने के कारण ही पुरा विवाद चल रहा है, उसके कारण ही लड़की दस साल से अपने घर बैठी है।

17- इस प्रकार परिवादिया व परीक्षित गवाहान ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज के लिए तंग व परेशान करने व शादी में दिये गये सामान को नहीं लौटाने के संबंध में कथन करते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उसे नपुसंक होना बताया है और नपुसंकता के संबंध में मेडिकल जांच भी करवाना बताया है। इस संबंध में पत्रावली पर मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 29-09-2006 उपलब्ध है यद्यिप उक्त रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं है परन्तु इसे पढा जावे तो इस रिपोर्ट में परिवादिया को सही बताया गया है। इसके अतिरक्त अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया के विरूद्ध एक परिवाद प्रदर्श डी 5 पेश किया गया जिसके आधार पर पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ में प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या 290/2006 प्रदर्श डी 4 अन्तर्गत धारा 420,120 बी भा.द.सं. में दर्ज हुयी। उक्त मुकदमा में भी परिवादिया का स्त्री नहीं होने के संबंध में कथन करते हुए धोखा से शादी करवाना बताया गया है परन्तु उक्त मुकदमा में बाद अनुसंधान एफ.आर. पेश हुयी अथार्त अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया के विरूद्ध झूठे आरोप नपुसंकता के संबंध में लगाये गये। इसके अतिरिक्त तोलाराम द्वारा परिवादिया के विरूद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री चाहने बाबत जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया वह भी पत्रावली पर विद्यमान है जिसमें भी तोलाराम द्वारा परिवादिया को स्त्री न होकर नपुसंक होना बताया गया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट में परिवादिया को सही बताया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया को नपुसंक बताना धारा 498 ए के स्पष्टीकरण (क) में परिभाषित क्रूरता की श्रेणी में आते है। धारा 498 ए के स्पष्टीकरण में क्रूरता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि **"(क) जान बूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस सत्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस सत्री के जवीन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभाव्य है या (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी सत्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।"** अथार्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार शादी के बाद किया जाना प्रमाणित है। अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी पी.ड.7 सुरेशचंद्र ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण से जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 घरेलू सामान जब्त किया है तथा फर्द प्रदर्श पी 7 के जरिये दो सोने की बिंटी, एक चेन सोने की व एक हाथ घड़ी जब्त की गयी है अथार्त उक्त सामान परिवादिया का था जो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण में न्यस्त था परन्तु उन्होंने परिवादिया को मांगने पर नहीं लौटाकर आपराधिक न्यास भंग किया जाना भी प्रमाणित होता है।

18- प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए,

406 भा.द.सं. के अपराध के आरोप संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया गया। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान व अपील याचिका में जो आधार लिए है उनसे उपरोक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय सहमत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनतापूर्वक विश्लेषण करके निर्णिय व दण्डादेश पारित किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय व दण्डादेश दिनांक 23-11-2015 को पारित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से परे नहीं माना जा सकता और न ही इसमें विधिक त्रुटि है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 23-11-2015 की पुष्टि की जाती है।

<u>आदेश</u>

19- अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण तोलाराम पुत्र कोजूराम, कोजूराम पुत्र शंकरराम निवासीगण बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील विरूद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 23-11-2015 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण तोलाराम व कोजूराम का सजा वारन्ट तैयार किया जावे। निर्णय की प्रति सहित विद्वान् विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जावे तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अविलंब प्रदान की जावे।

(सरिता नौशाद)
अपर सेशन न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

20- निर्णय आज दिनांक 02-05-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)
अपर सेशन न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

-